



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2016/पौष 30, 1937

No. 165]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/PAUSA 30, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

का.आ.189(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 20) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,- इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008 की, अनुसूची 3, के भाग ख के, बेसल स. ख1 में विद्युत और इलैक्ट्रानिक एसैम्बलीज से संबंधित संख्यांक ख 1110 के सामने, प्रविष्टि "वैद्युत और इलैक्ट्रानिक संमजक (मुद्रित सक्रिट बोर्ड, इलैक्ट्रानिक पुर्जे और तार सहित) सीधे पुनः उपभोग के लिए किंतु पुनः चक्रण अथवा अंतिम निपटान के लिए नहीं हैं।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वैद्युत और इलैक्ट्रानिक संमजक (मुद्रित सक्रिट बोर्ड, इलैक्ट्रानिक पुर्जे और तार सहित) सीधे पुनः उपयोग के लिए किंतु पुनः चक्रण अथवा अंतिम निपटान के लिए नहीं हैं लेकिन निम्नलिखित को अपवर्जित करते हुए :

(i) व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की गई, उपयोग में ली हुई वैद्युत और इलैक्ट्रानिक संमजक, यदि ऐसी व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित मात्रा तीन उत्पादों से अधिक नहीं हो।

(ii) वैद्युत और इलैक्ट्रानिक संमजक जिन्हे मरम्मत के लिए विदेश में निर्यात किया गया है और मरम्मत के पश्चात् आयात किया गया है।"

[फा.सं. 23-61/2011-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2265(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1799(अ), तारीख 21 जुलाई, 2009, का.आ. 2477(अ), तारीख 23 सितम्बर, 2009, का.आ. 710(अ), तारीख 30 मार्च, 2010 और का.आ. 1966(अ), तारीख 13 अगस्त, 2010 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th Janaury, 2016

S.O. 189(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, namely:—

1. **(1) short title and commencement .**— These rules may be called the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, in Schedule III, in Part B, in Basel No. B1, against number B1110 relating to Electrical and electronic assemblies, for the entry “Electrical and electronic assemblies (including printed circuit boards, electronic components and wires) destined for direct reuse and not for recycling or final disposal.”, the following entry shall be substituted, namely:—

“Electrical and electronic assemblies (including printed circuit boards, electronic components and wires) destined for direct reuse and not for recycling or final disposal but excluding:

- (i) used electrical and electronic assemblies imported by individual for personal use, if the quantity so imported for personal use does not exceed three products; and
- (ii) used electrical and electronic assemblies exported for repair abroad and re-imported after repair.”

[F. No. 23-61/2011-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 2265 (E), dated the 24th September, 2008 and subsequently amended vide notification numbers S.O.1799 (E), dated the 21st July, 2009, S.O. 2477 (E), dated, the 23rd September, 2009, S.O. 710 (E), dated the 30th March, 2010, and S.O. 1966 (E), dated the 13th August, 2010.